# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15/2020
प्रविष्टि दिनांक 16–1–2020

भंवरलाल पुत्र रामस्वरूप जाति गूर्जर निवासी ग्राम–रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

वनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 11–12–2019 मिसल नम्बर 1080/2019**

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

**निर्णय** दिनांक 22–9–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 11–12–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1386,1387,1402 कुल रकबा 2.60 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिकमण कर उड़द,की फसल काश्त करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 507/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया ओर पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, जो पेनल्टी कायम की है वह भी अपीलान्ट द्वारा जमा करवा दी गई है। यह भी निवेदन किया हे कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय में तीन सजाऐं कमशः बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है, कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है एंव उसने विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकारा है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1386,1387,1402 कुल रकबा 2.60 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उड़द,की फसल काश्त की है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1384/19 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है एंव उसके द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकारा है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि खसरा नम्बर 1386,1387,1402 कुल रकबा 2.60 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में अतिक्रमण कर उड़द,की फसल काश्त की है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1384/2019 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 11-12-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:48:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner